



दिनांक: 30-09-2025

थाना सदर बाज़ार मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम की बड़ी कार्यवाही — मात्र 24 घण्टे में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं छेड़छाड़ करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सदर बाज़ार पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 29.09.2025 को थाना सदर बाज़ार पर वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण — 1. रोकी उर्फ मनीष पुत्र महेंद्र निवासी शेखपुरा कदीम, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर व 2. शिवा पुत्र संजय निवासी शेखपुरा कदीम, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़छाड़ करने के संबंध में मु.अ.सं. 524/25, धारा 137(2)/76 बीएनएस एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाज़ार मिशन शक्ति/एंटी-रोमियो टीम ने दिनांक 30.09.2025 को दोनों वांछित अभियुक्तों को ग्राम शेखपुरा कदीम रेलवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते

1. रोकी उर्फ मनीष पुत्र महेंद्र निवासी शेखपुरा कदीम, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
2. शिवा पुत्र संजय निवासी शेखपुरा कदीम, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सुंदर सिंह — थाना सदर बाज़ार
2. म0उ0नि0 चंचल कुमारी — थाना सदर बाज़ार
3. हे0का0 धर्म सिंह (461) — थाना सदर बाज़ार
4. हे0का0 चालक जितेंद्र कुमार — थाना सदर बाज़ार
5. म0का0 रितु (87) — थाना सदर बाज़ार

□ मुख्य बिंदु

- मिशन शक्ति टीम की सक्रियता से नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोनों वांछित आरोपी गिरफ्तार।
- महिला एवं बालिका सुरक्षा को लेकर सहारनपुर पुलिस की संवेदनशीलता व त्वरित कार्रवाई।
- कानून एवं महिला सुरक्षा के प्रति जनपद पुलिस की सख्त प्रतिबद्धता।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.09.2025

थाना चिलकाना पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही — अवैध खनन पर शिकंजा, 11 वाहन सीज एवं 12 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक **30.09.2025** को थाना चिलकाना पुलिस टीम ने बड़ी सफलता प्राप्त की।

पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी सदर श्री सुबोध कुमार के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सजीव कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अवैध खनन में प्रयुक्त **09 ट्रक (18 टायर), 01 ट्रैक्टर (बिना नंबर) एवं 01 मोटरसाइकिल (UK 07 DM 8331)** सहित कुल **11 वाहन सीज किए गए**। ये वाहन बिना माइनिंग टैग, बिना रॉयल्टी, ओवरलोड अथवा एक्सपायर माइनिंग टैग के पाए गए। वाहनों से अवैध उपखनिज सामग्री भी बरामद की गई। वाहनों को सीज किए जाने के दौरान दोनों पक्षों में गाड़ियों को पकड़वाए जाने को लेकर **आमदा फसाद** की स्थिति उत्पन्न हुई। मौके पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना चिलकाना पुलिस टीम ने दोनों पक्षों के कुल **12 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **170/126/135 बीएनएसएस एवं 207 एमवी एक्ट** के तहत आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

□ कार्यवाही के मुख्य बिन्दु

- अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई — 11 वाहन सीज।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. उस्मान पुत्र मंगता, ग्राम कुण्डा कला, थाना गंगोह, सहारनपुर
2. माज पुत्र मुजम्मिल, ग्राम सीकरी कला, थाना चिलकाना, सहारनपुर
3. रिहान पुत्र नासीर, ग्राम फिरोजाबाद, थाना चिलकाना, सहारनपुर
4. मुबारिक पुत्र रियासत, ग्राम किशनपुरा, थाना तितरो, सहारनपुर
5. आकिल पुत्र मौ. जफर, ग्राम सालेपुर, थाना कपूरपुर, हापुड़
6. नौशाद पुत्र जाहिद, ग्राम पांचली बुजुर्ग, थाना सरूरपुर, मेरठ
7. नईम पुत्र शाहिद मरुन, ग्राम पांचली बुजुर्ग, थाना सरूरपुर, मेरठ
8. दिलशाद पुत्र इसराइल, कस्बा हर्दा, थाना सरूरपुर, मेरठ
9. विशु पुत्र अमरपाल, रेलपार, थाना रेलपार, शामली
10. पहलवान पुत्र ऋषिपाल, सल्फा, थाना कांधला, शामली

11. वक्की पुत्र राजेन्द्र, सल्फा, थाना कांधला, शामली
12. सरवर पुत्र जमशेद, ग्राम भूरा, थाना कैराना, शामली

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री सुबोध कुमार, उपजिलाधिकारी सदर
2. श्री संजीव कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना चिलकाना, सहारनपुर
3. उ०नि० श्याम कुमार सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. हे०का० 116 महेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का० 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. का० 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7. हो०गा० 1884 मोनू कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30-09-2025

थाना सदर बाज़ार पुलिस की त्वरित कार्रवाई — मात्र 12 घंटे में चोरी का खुलासा, 01 नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.09.2025 को वादी श्री श्याम पाल नरुला पुत्र श्री चन्द्र भान नरुला निवासी B-2, मॉडल टाउन, मिशन कम्पाउंड, सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाज़ार पर सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी दुकान का गल्ला तोड़कर लगभग ₹25,000–30,000 चोरी कर लिए गए। इस पर मु0अ0सं0 523/2025 धारा 305(A)/331(4) BNS पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के नेतृत्व में थाना सदर बाज़ार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे के भीतर चोरी की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त राम लखन मौर्य पुत्र कढिले मौर्य निवासी गोपालपुर पश्चिम, थाना साँधना, जिला सीतापुर को हरिद्वार बस स्टैंड से घंटाघर मार्ग की ओर गिरफ्तार किया।

बरामदगी

- ₹10,840/- नकद
- आधार कार्ड
- रस्सी, पेंचकस, प्लास, आरी के ब्लेड, लोहे की छैनी
- बैग में रखे कपड़े

बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गई। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही के उपरांत मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ में अभियुक्त का बयान

अभियुक्त ने बताया कि वह मूल रूप से सीतापुर का निवासी है, जुआ खेलने की लत के कारण धन जुटाने के लिए छोटे-मोटे चोरी के अपराध करता है। दुकानदार प्रायः छोटे नुकसान पर रिपोर्ट नहीं करते, इसी कारण वह अवसर मिलने पर चोरी करता है। आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 523/2025 धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS थाना सदर बाज़ार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 41/2021 धारा 457/380/411 भा.दं.वि., थाना टंडियावा, जनपद हरदोई
3. मु0अ0सं0 81/2016 धारा 457/380 भा.दं.वि., थाना साँधना, जिला सीतापुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 मनेन्द्र सिंह, थाना सदर बाज़ार
- का0 283 हिमांशु कुमार, थाना सदर बाज़ार
- का0 302 राहुल कुमार, थाना सदर बाज़ार
- का0 2361 जितेंद्र सिंह, थाना सदर बाज़ार

थाना सदर बाज़ार पुलिस की इस त्वरित व प्रभावी कार्रवाई से अपराधियों में भय एवं आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है।



दिनांक: 30-09-2025

□□ मिशन शक्ति 5.0 की गूँज — थाना फतेहपुर मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम की बड़ी कार्रवाई, मनचला गिरफ्तार □□

महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान पर खतरा डालने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

दिनांक 30.09.2025 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सहारनपुर के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में, सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान “मिशन शक्ति फेज-5.0” के अंतर्गत थाना फतेहपुर मिशन शक्ति / एंटी रोमियो टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मनचले युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

□♀□ घटना का विवरण

थाना फतेहपुर क्षेत्र में गश्त के दौरान थाना फतेहपुर मिशन शक्ति / एंटी रोमियो टीम को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फतेहपुर भादो क्षेत्र में एक युवक राह चलती महिलाओं व बालिकाओं को देखकर अश्लील गाने गा रहा है और फट्टियाँ कस रहा है।

प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के नेतृत्व में तथा म0उ0नि0 मिथलेश राठौर (प्रभारी मिशन शक्ति एंटी रोमियो थाना फतेहपुर) व उनकी टीम ने मौके पर पहुँचकर आरोपी को पकड़ लिया।

इस संबंध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 257/2025 धारा 296 BNS बनाम राम उर्फ अजय पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम फतेहपुर भादो, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

□ पुलिस विभाग का संदेश

“महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मनचलों को जेल भेजा जाएगा।”

□♂□ गिरफ्तारी करने वाली टीम

- थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा, थाना फतेहपुर सहारनपुर
- म0उ0नि0 मिथलेश राठौर, प्रभारी मिशन शक्ति / एंटी रोमियो टीम थाना फतेहपुर
- उ0नि0 मशकूर अली, थाना फतेहपुर सहारनपुर
- म0का0 813 सुरेखा, थाना फतेहपुर सहारनपुर



दिनांक: 30-09-2025

□ मिशन शक्ति 5.0 के तहत थाना कोतवाली देहात मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम — मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम □ _-

आज दिनांक 30.09.2025 को थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह, महिला उपनिरीक्षक रश्मि एवं मिशन शक्ति केंद्र पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों द्वारा मौ0 फारुख इंटर कॉलेज में बालिकाओं को मिशन शक्ति केन्द्र, विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बालिकाओं को निम्न हेल्पलाइन नंबर बताए गए —

- ♀ □ 1090 — वूमेन हेल्पलाइन
- 112 — पुलिस सहायता (पावर 112)
- 1930 — साइबर अपराध शिकायत

साथ ही बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका व महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में अवगत कराया गया।



-प्रेस नोट-



थाना मिर्जापुर पुलिस मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष **अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत** निम्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए —

- ☐ ग्राम कासमपुर पाडली
- ☐ कस्बा बाजार, मिर्जापुर

कार्यक्रम में बालिकाओं एवं महिलाओं को निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया —

- ☐ डिजिटल एरेस्टिंग व झूठी अफवाहों से बचाव के उपाय
- ☐ सशक्तिकरण एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं
- ☐ साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के तरीके
- ☐ महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण के कानूनी प्रावधान

साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- ☐ ♀ ☐ **1090** — वूमेन पावर लाइन
- ☐ **1930** — साइबर अपराध रिपोर्टिंग
- ☐ **108** — एंबुलेंस सेवा
- ☐ **112** — पुलिस आपातकालीन सेवा (पावर 112)
- ☐ **1098** — चाइल्ड हेल्पलाइन

इसके अतिरिक्त “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान के बारे में भी अवगत कराया गया।

अंत में उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं से उनकी समस्याएँ पूछी गईं तथा समाधान के लिए आश्वासन दिया गया।



दिनांक: 30-09-2025

*☐ मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत **थाना बेहट की मिशन शक्ति एण्टीरोमियो पुलिस टीम** ने थाना बेहट क्षेत्र में मार्केट, बैंक, शाकंभरी गेट, मोहल्ला महाजन एवं मोहल्ला खालसा में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।*

मुख्य बिंदु :

- ☐ डिजिटल एरेस्टिंग एवं झूठी अफवाहों से बचाव के तरीके बताए गए।
- ☐ महिलाओं व बालिकाओं को सशक्तिकरण एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
- ☐ बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं सुरक्षा उपायों के बारे में बताया गया।
- ☐ साइबर फ्रॉड व साइबर क्राइम से बचाव हेतु सुझाव दिए गए।
- ☐ महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण के कानूनी प्रावधान समझाए गए।

हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए :

- ☐ ☐ 1090 — वूमेन पावर लाइन
- ☐ 1930 — साइबर अपराध शिकायत
- ☐ 108 — एंबुलेंस सेवा
- ☐ 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा (पावर 112)
- ☐ 1098 — चाइल्ड हेल्पलाइन

साथ ही “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान के बारे में भी अवगत कराया गया।

महिलाओं व बालिकाओं की समस्याओं को भी सुना गया एवं समाधान हेतु आवश्यक आश्वासन प्रदान किया गया।



दिनांक: 30-09-2025

□ थाना जनकपुरी — मिशन शक्ति फेज-5.0 : महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण की जानकारी □

□□♀□ आज दिनांक 30.09.2025 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम (उप निरीक्षक मोनिका यादव, उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह, म0हे0का0 124 रीटा) तथा थाना प्रभारी महोदय की अगुवाई में बालिका गृह चकरहेटी एवं जैलचुंगी परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य झलकियाँ

- डिजिटल एरेस्टिंग एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए सावधानियां बताई गईं।
- महिलाओं व बालिकाओं को सरकारी योजनाओं और सशक्तिकरण के अवसरों के बारे में जानकारी दी गई।
- बच्चों के लिए चलाई जा रही सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया।
- महिलाओं के अधिकार, आत्मरक्षा और संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाई गई।
- साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम एवं फर्जी खबरों से बचाव के तरीके सिखाए गए।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए

- 1090 — वूमेन पावर लाइन
- 1930 — साइबर अपराध शिकायत
- 108 — एंबुलेंस सेवा
- 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा



दिनांक: 30-09-2025

***_आज दिनांक 30.09.2025 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत दो महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए —*_**

1_इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज, ताल्हापुर

2_ग्राम खुशीपुर (आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ महिला चौपाल)

***मुख्य बिंदु *_**

- ☐ डिजिटल एरेस्टिंग, झूठी अफवाहों और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी गई।
- ☐ महिलाओं व बालिकाओं को सशक्तिकरण एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया।
- ☐ बच्चों के लिए चलाए जा रहे सुरक्षा एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
- ☐ महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित जानकारी साझा की गई।
- ☐ नशा मुक्ति जागरूकता (ऑपरेशन सवेरा अभियान) के अंतर्गत बालकों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई।
- ☐ सड़क सुरक्षा नियमों के तहत हेलमेट अनिवार्यता पर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए

- ☐ 1090 — वूमेन पावर लाइन
- ☐ 1930 — साइबर अपराध शिकायत
- ☐ 108 — एंबुलेंस सेवा
- ☐ 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा
- ☐ 1098 — चाइल्ड हेल्पलाइन



दिनांक: 30-09-2025

* ➡ आज दिनांक 30.09.2025 को थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम थाना सरसावा द्वारा जनता इंटर कॉलेज, कस्बा सरसावा की छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा थाना सरसावा पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को थाने का भ्रमण कराकर महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की दी जानकारी*

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

- ☐ डिजिटल एरेस्टिंग और झूठी अफवाहों से बचाव के तरीके समझाए गए।
- ☐ महिला सशक्तिकरण और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
- ☐ बच्चों के लिए चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
- ☐ महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।
- ☐ साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के सुझाव दिए गए।

* महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए *

- ☐ 1090 — वूमेन पावर लाइन
- ☐ 1930 — साइबर अपराध शिकायत
- ☐ 108 — एंबुलेंस सेवा
- ☐ 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा
- ☐ 1098 — चाइल्ड हेल्पलाइन

साथ ही ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत बच्चों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अंतर्गत हेलमेट अनिवार्यता के बारे में चेतावनी दी गई।



दिनांक: 30-09-2025

* ➡ ☐ आज दिनांक 30.09.2025 को थाना बड़गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय, कल्लरपुर राजपूत से आई बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्र का भ्रमण कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जागरूक किया और निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी —*

☐ ♀ ☐ 1090 — वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 — साइबर हेल्पलाइन

☒ 181 — महिला हेल्पलाइन

☐ 1076 — CM हेल्पलाइन

_ *साथ ही बालिकाओं को थाने की कार्यप्रणाली समझाई गई तथा पुलिस से जुड़ी सेवाओं और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। *_



दिनांक: 30-09-2025

□□♀□ आज दिनांक 30.09.2025 को थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान — मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

□ शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता- महाराज सिंह डिग्री कॉलेज व आई टी एस फाउंडेशन कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, सरकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दी गई।

□ धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर संवाद- हनुमान मंदिर माधव नगर, गणेश्वर मंदिर, कंपनी बाग, घंटाघर चौक, वी मार्ट, फैशन सिटी मॉल घंटाघर, गुरुद्वारा केशव नगर, गौशाला गौदेवी मंदिर, नवाबगंज चौक, श्रीराम चौक, गणेश्वर मंदिर सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी रोकथाम इत्यादि के बारे में अवगत कराया गया।

*□ बताए गए हेल्पलाइन नंबर*

□♀□ 1090 — वूमेन पावर लाइन

☎□ 1076 — मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

□ 1098 — चाइल्ड हेल्पलाइन

□ 1930 — साइबर हेल्पलाइन

□ 108 — एंबुलेंस सेवा

□ 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा

□ बैंक चेकिंग एवं सुरक्षा- इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, शिवालिक बैंक के आस-पास सुरक्षा जांच की गई। अनावश्यक रूप से खड़े पाए गए व्यक्तियों को हटाया गया और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए।

□□□ महिला चौपाल- गढ़ी मलूक नं.1 में महिलाओं को एकत्र कर महिला चौपाल लगाई गई। महिलाओं से उनकी समस्याएँ पूछी गई (किसी ने कोई समस्या नहीं बताई)। चौपाल में सरकारी योजनाओं व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई एवं पेमप्लेट वितरित किए गए।



दिनांक: 30-09-2025

☐ आज दिनांक 30.09.2025 को थाना बड़गांव, जनपद सहारनपुर में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम एवं साइबर थाना सहारनपुर टीम द्वारा थाना क्षेत्र के बैंक, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बालिकाओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य बातें ☐

- ☐ डिजिटल एरेस्टिंग व ऑनलाइन ठगी/झूठी अफवाहों से बचाव के उपाय बताए गए।
- ☐ बालिकाओं को सशक्तिकरण एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई।
- ☐ बच्चों के लिए चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों व सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।
- ☐ महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण के कानूनी प्रावधान समझाए गए।
- ☐ साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव हेतु सुझाव साझा किए गए।

साझा किए गए हेल्पलाइन नंबर

- ☐ ☐ 1090 — वूमेन पावर लाइन
- ☐ 1930 — साइबर अपराध शिकायत
- ☐ 108 — एंबुलेंस सेवा
- ☐ 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा

☐ सभी बालिकाओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।



दिनांक: 30-09-2025

*□□ आज दिनांक 30.09.2025 को थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम थाना सरसावा द्वारा वैद्य रामनाथ बाल भारती जूनियर हाई स्कूल, कस्बा सरसावा में छात्र-छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।*

कार्यक्रम की मुख्य बातें □-□ डिजिटल एरेस्टिंग और झूठी अफवाहों से बचाव के उपाय समझाए गए। □□ महिला सशक्तिकरण एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई।
□ बच्चों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई
□ अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण के कानूनी पहलुओं से छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया।
□ साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए गए।

*साझा किए गए हेल्पलाइन नंबर*

- ♀ □ 1090 — वूमेन पावर लाइन
- 1930 — साइबर अपराध शिकायत
- 108 — एंबुलेंस सेवा
- 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1098 — चाइल्ड हेल्पलाइन

*साथ ही ऑपरेशन सवेरा अभियान के अंतर्गत बच्चों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों से उनकी समस्याएँ पूछी गईं और आवश्यक समाधान हेतु आश्वासन दिया गया।*



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-09-2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

☐ ☐ **मिशन शक्ति 5.0** — थाना नकुड़ मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम की बड़ी सफलता, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद ☐ ☐

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.09.25 को थाना नकुड़ मिशन शक्ति एंटीरोमियो पुलिस टीम द्वारा गस्त व चौकियों के दौरान अभियुक्त मन्नान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को 45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित ग्राम भैरमऊ व जैनपुर के मध्य रोड के किनारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 406/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मन्नान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम घाटमपुर नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

कुल 45 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. म0उ0नि0 कोमल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. म0उ0नि0 सिमरन कमलेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. है0का0 650 वरणकार, थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 643 दीपक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
8. का0 1806 योगेश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 30-09-2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□□ मिशन शक्ति 5.0 — थाना नकुड़ मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम की बड़ी सफलता, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 40 ग्राम अवैध स्मैक बरामद □□

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.09.25 को थाना नकुड़ मिशन शक्ति एंटीरोमियो पुलिस टीम द्वारा गस्त व चौकियों के दौरान अभियुक्त शहजाद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम नवाजपुर नकुड़ जनपद सहारनपुर को 40 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित ग्राम आसराखेड़ी की तरफ कोल्लू की ट्यूबैल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 407/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शहजाद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम नवाजपुर नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

कुल 40 ग्राम स्मैक

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शहजाद:-

1. मु0अ0सं0 383/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. म0उ0नि0 कोमल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. म0उ0नि0 सिमरन कमलेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. है0का0 650 वरणकार, थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 643 दीपक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
8. का0 1806 योगेश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 30-09-2025

□□ **मिशन शक्ति 5.0** — थाना गंगोह मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाला बाल अपचारी हिरासत में □□

महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा पर सख्त कार्रवाई — पुलिस का जीरो टॉलरेंस

दिनांक **29.09.2025** को थाना गंगोह पर वादिया द्वारा दी गई लिखित तहरीर में सूचना दी गई कि एक युवक ने वादिया की नाबालिग पोती के साथ छेड़छाड़, मारपीट एवं दुष्कर्म का प्रयास किया। इस गंभीर घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 429/2025 धारा 76, 115(2) BNS व 7/8 POCSO Act के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में, थाना गंगोह मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने कड़ी कार्यवाही करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी बाल अपचारी को नकुड़ रोड पशु पैठ से हिरासत में ले लिया।

आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है एवं उसे न्यायिक प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जा रहा है।

□ **पुलिस विभाग का संदेश**

“महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद सहारनपुर पुलिस हर पीड़ित के साथ खड़ी है और अपराधियों को सख्त कानूनी सजा दिलाई जाएगी।”

□♂□ **हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम**

1. उ0नि0 श्री केरन सिंह, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर
2. म0है0का0 1179 प्रीति, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर
3. है0का0 321 राहुल कुमार, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर
4. का0 108 नितिन कुमार, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर
5. म0का0 502 अन्नू, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर

□ **जनपद सहारनपुर पुलिस की अपील**

महिलाओं व बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, हिंसा या यौन अपराध की सूचना तुरंत **112 / 1090 / स्थानीय थाना** को दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।



दिनांक: 30-09-2025

-प्रेस नोट-

□□ **थाना बेहट पुलिस की बड़ी सफलता** — 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस व नाजायज चाकू बरामद □□

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई — जनपद सहारनपुर पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में भय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 30.09.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उसण्ड रोड आम का जंगल से दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों से

- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस
- 01 अवैध नाजायज चाकू बरामद किए गए।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 434/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम लाल बहादुर उर्फ बादल तथा मु0अ0सं0 435/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम पिन्टू पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

□♂□ **गिरफ्तार अभियुक्तगण**

1. लाल बहादुर उर्फ बादल पुत्र मनफूल उर्फ मकफूल निवासी सिंघा गोयली, थाना कोतवाली चांदपुर, जिला बिजनौर
2. पिन्टू पुत्र हरफूल निवासी चमारो वाली गली, कस्बा व थाना नौगवां सादात, जिला अमरोहा

□ **आपराधिक इतिहास**

अभियुक्त लाल बहादुर उर्फ बादल

- मु0अ0सं0 295/18 धारा 379 भा.दं.वि., थाना मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर
- मु0अ0सं0 378/18 धारा 307/399/402 भा.दं.वि., थाना मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर
- मु0अ0सं0 379/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर

□ **बरामदगी**

- लाल बहादुर उर्फ बादल से — 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस
- पिन्टू से — 01 अदद नाजायज चाकू

□♂□ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. उ0नि0 महेश चन्द, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 स्वदेश, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
3. है0का0 73 प्रवेश, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
4. का0 1802 बिट्टू, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30.09.2025

-प्रेस नोट-

☐☐ **थाना देवबंद पुलिस की त्वरित कार्रवाई** — चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार ☐☐

दिनांक 29.09.2025 को वादी हाजी शाहिद सुहैल पुत्र आमिल निवासी एडवोकेट कालौनी, सिविल कोर्ट सामने, देवबंद, जनपद सहारनपुर (मो. 9359246210) ने थाना देवबंद पर सूचना दी कि अज्ञात चोर उनके ऑफिस के बाहर लगा सैमसंग 2 टन ए.सी., पीछे कमरे का ताला तोड़कर डेढ़ हार्स पावर की मोटर, बिजली फिटिंग के 12 बंडल तार, 2 नल मशीन और राजमिस्त्री का हैमर सहित अन्य सामान चोरी करके ले जाने की सूचना पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 783/2025 धारा 331(4)/305A BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए शीघ्र अनावरण, चोरी के माल की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर सापला रोड रजवाहा पीर के पास से अभियुक्त कृष्णपाल उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया।

☐♂☐ गिरफ्तार अभियुक्त

कृष्णपाल उर्फ मिंटू पुत्र पूरन सिंह

निवासी मौहल्ला बलजीत कालौनी, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर

☐ अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया।

- 01 अदद सैमसंग ए.सी. कम्प्रेसर
- 01 बंडल पाइप PLASH PREMIUM (10 फीट के 25 पाइप, बिजली फिटिंग हेतु)

☐♀☐ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 रविन्द्र कसाना, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1124 राहुल कुमार, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर
3. का0 1980 योगेश कुमार, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30-09-2025

□□ थाना देवबंद मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम की अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही — मात्र 1 घंटे में लूट का पर्दाफाश, 4 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया माल बरामद □□

अवगत कराना है कि आज दिनांक 30.09.2025 को वादी श्री ईश्वरचन्द सैनी पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम दूधली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपने गांव से ई-रिक्शा से आते समय समय 02 व्यक्तियों द्वारा मोटर साईकिल ई रिक्शा के सामने लगा देना तथा ई रिक्शा में बैठे अन्य दो व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी का बैग लूट लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 787/2025 धारा 309(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा मात्र 01 घण्टे में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 लूटेरे अभियुक्तगण 1. पंकज पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द स0पुर, 2. शुभम पुत्र अमरवीर निवासी ग्राम फुलासी थाना देवबन्द स0पुर, 3. आदित्य पुत्र पीतम निवासी ग्राम फुलासी थाना देवबन्द स0पुर बताया 4. आर्यन पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द स0पुर को बरला सापला रोड पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटा गया 01 बैग (जिसमें कुल 5086/- रुपये नकद व बैंक पास बुक व चैक बुक बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. पंकज पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द स0पुर,
2. शुभम पुत्र अमरवीर निवासी ग्राम फुलासी थाना देवबन्द स0पुर,
3. आदित्य पुत्र पीतम निवासी ग्राम फुलासी थाना देवबन्द स0पुर
4. आर्यन पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द स0पुर

बरामदगी -

एक बैग (जिसमें 5086/- रुपये नकद व बैंक पास बुक व चैक बुक)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 सुधारानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1047 सतीश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 561 शमीम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 1216 ब्रह्मप्रकाश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
7. म0का0 310 राखी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 30-09-2025

□□ मिशन शक्ति 5.0 — थाना नकुड़ मिशन शक्ति / एंटी रोमियो टीम की बड़ी सफलता, मा० मुख्यमंत्री जी के फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार □□
सहारनपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई — सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों पर शिकंजा

दिनांक 30.09.2025 को वादी श्री अंकित पुत्र श्री जयदीप राणा निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर द्वारा थाना नकुड़ पर लिखित तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्तियों ने मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के फोटो में एडिटिंग कर आपत्तिजनक पोस्ट बनाकर अपने फेसबुक अकाउंट पर डाली व सोशल मीडिया पर वायरल की। इस संबंध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 404/2025 धारा 196(1) BNS पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं शान्ति / कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सख्त निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति / एंटी रोमियो टीम थाना नकुड़ ने सक्रियता दिखाते हुए अभियुक्तगण को थाना क्षेत्र नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 170/126/135 BNS के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। अभियुक्तगण को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

□♂□ गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. दानिश पुत्र शहजाद, निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर
2. गयूर पुत्र अख्तर, निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर
3. हाशिम पुत्र हारुन, निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर

□♀□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी, थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर
2. म०उ०नि० कोमल, थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. म०उ०नि० सिमरन कमलेश, थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. उ०नि० ओमेन्द्र मलिक, थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर
5. है०का० 1021 मतीन, थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर
6. है०का० 320 तरुण, थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30-09-2025

□□ थाना कोतवाली देहात पुलिस की कार्रवाई — वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार □□

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के सख्त निर्देश — अपराधियों की धरपकड़ में कोतवाली देहात पुलिस की बड़ी सफलता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।

आज दिनांक 30.09.2025 को तलाश व दबिश के दौरान पुलिस टीम ने एक वारंटी अभियुक्त वासिद पुत्र सलीम निवासी मुल्ला नगराजपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

□♂□ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

वासिद पुत्र सलीम निवासी मुल्ला नगराजपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर
(संबंधित वाद सं० 202/15, मु०अ०सं० 396/412 भा.दं.वि. — चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर)

□♀□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० श्री भीमप्रकाश, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर
2. का० 2201 विपन कुमार, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30.09.2025

-प्रेस नोट-



थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.09.2025 को वादी रामनिवास पुत्र सत्यपाल निवासी मौ0 पीठ बाजार, थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर द्वारा थाना रामपुर मनिहारान पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त **गौरव पुत्र सत्यवान निवासी जन्धेड़ा समसपुर, थाना रामपुर मनिहारान** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत (छिटाकसी) की गई। तहरीर के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर **मु0अ0सं0 450/25**, धारा **74/351(3) भारतीय न्याय संहिता** एवं धारा **7/8 पोक्सो एक्ट** में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे **चैकिंग अभियान व मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0** के अंतर्गत आज दिनांक 30.09.2025 को वांछित अभियुक्त **गौरव पुत्र सत्यवान** को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर **माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- **गौरव पुत्र सत्यवान निवासी — जन्धेड़ा समसपुर, थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह — थाना रामपुर मनिहारान
2. उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह — थाना रामपुर मनिहारान
3. हे0का0 316 रजनीश — थाना रामपुर मनिहारान

महिला एवं बालिका सुरक्षा के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ग्राम, कस्बा, मोहल्ला, शिक्षण संस्थानों में भ्रमण एवं चौपाल लगाकर छात्राओं, बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, महिला हेल्पलाइन 1090, यूपी-112, अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है।



दिनांक: 30.09.2025

-प्रेस नोट-



□ मिशन शक्ति अभियान-5 के अन्तर्गत महिला थाना की महिला रिपोर्टिंग चौकी देवबंद की मिशन शक्ति टीम द्वारा ग्राम अम्बेहटा शेखा में मिशन शक्ति चौपाल का आयोजन किया गया।

चौपाल में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं साथ ही विभिन्न महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं —

- 1090 — वूमेन पावर लाइन
- 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1098 — चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 — साइबर अपराध शिकायत
- 8**□ 181 — महिला हेल्पलाइन

□□♀□ इस अवसर पर महिलाओं को उनके सशक्तिकरण, सुरक्षा और सहायता के सरकारी उपायों से अवगत कराया गया तथा समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान का आश्वासन दिया गया।



दिनांक: 30.09.2025

-प्रेस नोट-



□ थाना सदर बाजार — मिशन शक्ति फेज-5.0 अंतर्गत मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम (महिला उप निरीक्षक चंचल, हेड कांस्टेबल जितेंद्र चौहान, महिला कांस्टेबल रितु) द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्र में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

मिशन शक्ति एंटीरोमियो महिला पुलिस टीम ने बाजारों व रेलवे स्टेशन पर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा एवं सहायता से जुड़ी सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी और पंपलेट वितरित किए।

*साझा किए गए हेल्पलाइन नंबर*

- 1090 — वूमेन पावर लाइन
- 1930 — साइबर अपराध शिकायत
- 108 — एंबुलेंस सेवा
- 112 — पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1098 — चाइल्ड हेल्पलाइन

□ इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा, जागरूकता और त्वरित मदद के संसाधनों से अवगत कराना रहा।



दिनांक: 30.09.2025

-प्रेस नोट-



□ मां शाकुम्भरी मेला में मिशन शक्ति महिला पुलिसकर्मी ने बिछड़ी बच्ची को सकुशल माता-पिता से मिलवाया □

□ आज मां शाकुम्भरी मेले में एक छोटी बच्ची अपने माता-पिता से बिछड़ गई थी। बच्ची कुछ भी बता नहीं पा रही थी। मेला क्षेत्र में मौजूद दुकानदार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्ची को खोया-पाया केंद्र पर पहुँचाया। वहाँ नियुक्त महिला कांस्टेबल ज्योति वर्मा व अनु जादौन ने तुरंत पहल करते हुए माइक से अनाउंसमेंट कराया और आसपास के क्षेत्र में जानकारी साझा कराई।

कुछ समय बाद बच्ची के माता-पिता खोया-पाया केंद्र पर पहुँचे, जहाँ पुलिस ने बच्ची को सकुशल उनके सुपुर्द किया।



दिनांक: 30.09.2025

-प्रेस नोट-



□ मिशन शक्ति अभियान-5.0 (मां शाकुम्भरी मेला में बिछड़े हुये बच्चे को उनके परिजनों से मिलाया, परिजनो ने जताई खुशी, परिजनों ने पुलिस का किया धन्यवाद।□

□□ आज मां शाकुम्भरी मेले में एक छोटा बच्चा अपने माता-पिता से बिछड़ गया था। बच्चे के मिलने के बाद खोया-पाया केंद्र से बार-बार अनाउंसमेंट कराया गया। थोड़ी ही देर में बच्चे के माता-पिता पहुंचे और पुलिस टीम ने बच्चे को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-14 जनपद सहारनपुर द्वारा आम्स एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.21 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र राणा थाना सदरबाजार जनपद सहारनपुर को अभियुक्त 1. नितिन पुत्र विजय नि0 काशीराम कालौनी थाना-सदर बाजार जनपद सहारनपुर के कब्जे से एक अद्ध नाजायज चाकू बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-451/21 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-2453/21 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-14 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 30.09.2025 को अभियुक्त नितिन पुत्र विजय नि0 काशीराम कालौनी थाना-सदर बाजार जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-451/21 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर का दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता ए0डी0जी0सी श्री मेघराज सैनी

विवेचक- उ0नि0 सुभाष चन्द

पैरोकार-है0का0 प्रदीप कुमार थाना-सदर बाजार जनपद-सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-14 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 02 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.21 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह राणा थाना-सदर बाजार जनपद सहारनपुर को अभियुक्त 1.साहिब उर्फ सलमान पुत्र नौशाद नि0 काशीराम कालौनी 2.नितिन पुत्र विजय नि0 नि0 काशीराम कालौनी 3.विभू पुत्र सुरेश पाल नि0 अनुपम विहार 4.आलिम उर्फ मोरी पुत्र सरावली नि0 मवी कला थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा चोरी की योजना करते पकड़े जाने की सूचना पर मु0अ0स0-449/21 धारा 398,401 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-2257/21 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-14 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 30.09.2025 को अभियुक्त नितिन पुत्र विजय नि0 काशीराम कालौनी थाना-सदर बाजार जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-449/21 धारा 401 भादवि थाना-सदर बाजार सहारनपुर का दोषी पाते हुए अभियुक्त को सजा- 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 02 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट-02 अभियुक्तों की पत्रावली अलग है।

शासकीय अधिवक्ता ए0डी0जी0सी श्री मेघराज सैनी

विवेचक - उ0नि0 श्री सुभाष चन्द

पैरोकार - है0का0 प्रदीप कुमार थाना-सदर बाजार जनपद-सहारनपुर